



पत्रांक- कु0स0 / 186 / 2018

दिनांक - 02 अगस्त, 2018

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय- शैक्षणिक सत्र 2017-18 में समस्त प्रकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन-आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक संख्या-65/2017/1017/26.3.2017-4(358)/07 टी0सी0III, दिनांक 27-04-2017 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं से आनलाइन आवेदन करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारण करने हेतु निम्नवत् समय सारणी निर्गत की गई है-

क्र0स0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	दशमोत्तर समूह 1,2,3 व 4
1	छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई, 2017 से 01 नवम्बर, 2017 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
3	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बत 07 नवम्बर, 2017 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई, 2017 से 14 नवम्बर, 2017 तक
5	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्रके लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों का छात्र द्वारा ठीक किया जाना	05 से 15 दिसम्बर 2017 तक
6	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 18 दिसम्बर 2017 तक
7	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सम्यापित एवं अग्रसारित करना।	05 नवम्बर से 21 दिसम्बर, 2017 तक

कृपया उपरोक्त समय सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनागत छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करवाने का कष्ट करे, साथ ही साथ निम्न दिशा निर्देशो का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें-

1. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छोड़कर जिन्होंने प्रथम या द्वितीय वर्ष में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन किया है वे केवल नवीनीकरण ही करेंगे अन्यथा की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. छात्र/छात्राओं को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है।
3. छात्र/छात्राओं का बैंक खाता जनधन योजनान्तर्गत न खुला हो तथा वह सुचारु रूप से संचालित हो।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र (जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र का क्रमांक, दिनांक, खाता संख्या आदि) सम्बन्धित विभाग द्वारा जाँच करने के पश्चात् ही सत्यापित करें, अन्यथा की स्थिति में विभाग ही जिम्मेदार होगा।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा भरा गया आवेदन पत्र का विवरण (रजिस्ट्रेशन न0 एवं मोबाईल न0) विभाग अपने पास (स्काूलर रजिस्टर में या रजिस्टर में) सुरक्षित रखें, जिससे यदि छात्र अगले वर्ष छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं करता है तो उसने क्यों नहीं आवेदन किया इसकी सूचना विशेष प्रकोष्ठ विभाग को देनी होगी।
6. छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये विवरण को अपने प्रमाण पत्रों (नाम, आवेदन संख्या, दिनांक एवं धनराशि आदि) से अवश्य मिलान करने के पश्चात् ही उसकी हार्ड कापी निकाले तथा उसको विभाग में जमा करने के साथ-साथ अपने पास भी एक कापी सुरक्षित रखने का कष्ट करे।
7. जिन छात्रों ने विगत वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म भरा और यदि वे नवीनीकरण का फार्म नहीं भर रहे है तो ऐसे छात्रों का कारण सहित विवरण विशेष प्रकोष्ठ को पृथक से अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. वर्ष 2016-17 में सभी छात्रों को आवेदन पत्र में आधार नम्बर तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ इनरोलमेंट नम्बर भरना अनिवार्य है।

कृपया उक्त सूचना को अपने स्तर से छात्र-छात्राओं में प्रचारित कराने कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति जी, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. वित्त अधिकारी, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. श्री विनोद कुमार, संगणक प्रभारी, को इस आशय से की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव